प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला......**भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी करौली**.........थाना........ **प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर**.........
(प्र.सू.रि.स.) ....334/2022 दिनांक) 29/8/2022...............
2. (अ) अधिनियम ...**भ्र0 नि0 (संशोधित) अधि. वर्ष 2018**....... धारायें.........**7, 7ए**..........................
(ब) अधिनियम ....धारायें...............**120 बी भा.द.स.** ....
(स) अधिनियम ....धारायें...
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ......532.........समय..........6:10 pm.........................
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक ....**रविवार 28.08.2022 / 09:35 ए.एम**..........
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित रिपोर्ट**
5. घटनास्थल..............**ग्राम सेवाला व रिको एरिया गंगापुर सिटी** ।.....................................
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी....**बजानिब दिशा उत्तर–पश्चिम, दूरी करीब 60 कि.मी.**....
(ब) पता ....बीट सख्या ....जरायम देही सं..............................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना..............जिला.................
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम ....**श्री मोहन लाल हरिजन** ....
(ब) पिता / पति का नाम ....**श्री भरोसी लाल** ....जाति.................**हरिजन** ....
(स) जन्म तिथि / वर्ष .... **32 वर्ष**...
(द) राष्ट्रीयता..**भारतीय** ....
(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी............जारी होने की जगह..........................
(र) व्यवसाय..
(ल) पता..............**निवासी ग्राम सेवाला, पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर**..............
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1. **जगदीश सिंह पुत्र श्री समन्दर सिंह, उम्र 51 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जाहिरा, पुलिस थाना बामनवास, जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. 1259, पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर।**
   2. **श्री राजूलाल शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी सैवाला, पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर (प्राईवेट व्यक्ति)**
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–............**कोई नही**................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें).......
....10,000 / –**रू0 रिश्वत राशि** ....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).............
....10,000 / –**रू0 रिश्वत राशि** ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....**नहीं**.............
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये):–

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ACB सवाई माधोपुर विषय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं ग्राम शिवाला का रहने वाला हूं। मेरे परिवार के मेरे चाचाजी मुकेश पुत्र प्रभु ने एवं पिताजी के बीच जमीन विवद चल रहा था। जमीन विवाद को लेकर चाचाजी ने उसकी चार लड़कियों ने मेरी घर वाली को घर आकर पीट कर थाने चले गये, पुलिस थाना पिलौदा गंगापुर सिटी मेरे खिलाफ झूठा केस करवाया जिसकी जांच पुलिस कर्मी जगदीश कर रहे है उनके पद का मुझे मालुम नही है, जगदीश जी मेरे पिताजी से 20,000 रूपये की मांग कर रहा है और मेरे पिताजी पर दबाव बना रहा है। मेरे पिताजी पहले भी कई बार पैसे दे चुके है। अब जगदीश पुलिस कर्मी को पैसे नही देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़ावना चाहता हूं। मेरी व मेरे पिताजी की जगदीश से कोई रंजिस व लेन–देन नही है। जगदीश पुलिस कर्मी मेरे से रिश्वत की मांग नही करता है। मुझे जेल भेजने की धमकी देता है उक्त पुलिस कर्मी को मेरे पिताजी से ही लेन–देन की बात करता है। उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने की कृपा करें। भवदीय हस्ता मोहन लाल हरि0 मोहन लाल हरिजन पिता

[redacted]

श्री भरोसी लाल जाति महतर उम्र 32 वर्ष निवासी शिवाला त0 गंगापुर सिटी, जि0 सवाई माधोपुर 7357766643

"कार्यवाही पुलिस"

दिनांकः— 26.08.2022 समय 10:30 ए.एम. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर

दर्ज रहे कि श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सवाई माधोपुर पी.एल. अवकाश पर होने की वजह से श्री हम्मीर सिंह कानि0 02 के मोबाईल पर कॉल कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु निर्देशित किया है। इस पर श्री जुगलाल कानि. द्वारा श्री हम्मीर सिंह कानि के मोबाईल से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से वार्ता की गयी तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया कि ग्राम सेवाला के परिवादी द्वारा ट्रेप कार्यवाही के लिये ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 पर कॉल किया है, इसलिये कार्यालय के श्री हम्मीर सिंह कानि. को मय वाईस रिकार्डर के ग्राम सिवाला रवाना करें। जहां पर हम्मीर सिंह कानि. परिवादी श्री भरोसीलाल से संपर्क कर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर कार्यालय में उपस्थित आवे एवं बाद सत्यापन कार्यालय में आने पर हालात जरिये दूरभाष अवगत करावे। इस पर श्री हम्मीर सिंह कानि. को मय वाईस रिकार्डर के मुनासिफ हिदायत कर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु ग्राम सेवाला के लिये प्राईवेट वाहन से रवाना किया गया, जो समय 11:00 पी.एम. पर बाद रिश्वत मांग सत्यापन के ए.सी.बी. कार्यालय सवाई माधोपुर आया और श्री जुगलाल कानि. को बन्द वायॅस रिकार्ड व प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि मैं आज दिनांक 26.08.2022 को श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सवाई माधोपुर के जरिये टेलीफोन निर्देशानुसार वास्ते रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु सेवाला, गंगापुर सिटी पहुंचा जहां पर परिवादी श्री मोहनलाल व परिवादी का पिता श्री भरोसीलाल उपस्थित मिले, जहां उन्होने कानि. हम्मीर सिंह को हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। कानि. द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सवाई माधोपुर को अर्ज किये। श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी के पिता श्री भरोसी लाल को सरकारी वाईस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाकर वाईस रिकार्डर मैनें चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी जगदीश हैड कानि. से गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु परिवादी भरोसीलाल को रवाना कर कानि. आसपास ही मुकीम हुआ। लगभग दो घंटे बाद परिवादी कानि. के पास आया और रिकार्डर कानि. को पेश किया, जिसको कानि. ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी के पिता ने बताया कि मैं और मेरी पत्नि हमारे गांव के राजू पंडित के घर पहुंचे जहां पर पुलिस वाले जगदीश जी से हमारे विरूद्व दर्ज मुकदमें के सम्बन्ध में बातचीत हुई है। उस समय घर पर राजू पंडित नही था। उसके परिजन थे। जगदीश जी ने मुझे व मेंरे परिजनों की मुकदमें में मदद करने की एवज में 20,000 रूपये की मांग की तथा हमारे कहने पर दो–तीन हजार रूपये कम लेने के लिये राजी हो गये। तत्पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये टेलीफोन हालात निवेदन किये तथा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार परिवादी को 15,000/–रूपये की व्यवस्था करने हेतु पाबन्द कर मौके पर परिवादी को रूखसत कर प्रार्थना पत्र व वाईस रिकार्डर के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय सवाई माधोपुर पहुंचा। तत्पश्चात श्री जुगलाल कानि. ने प्रार्थना पत्र मय वायॅस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखा। दिनांक 27.08.2022 को समय 01:20 पी.एम. से कुछ समय पूर्व श्री हम्मीर सिंह कानि. के मोबाईल पर परिवादी के भाई श्री कैलास का फोन आया, जिसने बताया कि हमारे गांव का राजू पंडित जो जगदीश जी पुलिस वाले की दलाली करता है, वह शाम तक रूपये लेकर अपने घर पर बुला रहा है। कल दलाल राजू पंडित ने घर पर आकर मेरे पिताजी श्री भरोसीलाल से 5000 रूपये ले गया व 10,000 रूपये आज शाम तक देने के लिये कह रहा है। इस पर हम्मीर सिह कानि0 ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा को जरिये टेलीफोन हालात निवेदन किये, तत्पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया कि मैंने ब्यूरो के उच्च अधिकारीयो से ट्रेप कार्यवाही के हालात निवेदन कर दिये है। मेरे अवकाश पर होने के कारण ट्रेप में अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी करौली से अमर सिंह पुलिस उप अधीक्षक को निर्देशित किया है। अमर सिंह पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान के आपको विश्राम गृह गंगापुर सिटी में करीब 04.00 पी.एम पर मिल जायेंगे। अतः आप ट्रेप कार्यवाही से संबंधित उपकरण मय ट्रेप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर आदि के कार्यालय से रवाना होकर विश्राम गृह गंगापुर सिटी पहुंचे व ट्रेप कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज मय वाईस रिकार्डर अमर सिंह पुलिस उप

अधीक्षक को सुपुर्द करे। तत्पश्चात जरिये टेलिफोन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा एवं अमर सिंह पुलिस उप अधीक्षक एसीबी करौली के निर्देशानुसार हनुमान प्रसाद एचसी 74 को मिले निर्देशुनसार हैड कानि. हनुमान प्रसाद 74, श्री जुगलाल कानि. 459, श्री हम्मीर सिंह कानि. 02, श्री भोलाराम कानि. 281 मय प्रार्थना पत्र व वाईस रिकार्डर हमराह लेकर मय ट्रेप बाक्स, लेपटॉप, प्रिंटर आदि उपकरणों के मय सरकारी बोलेरो वाहन से रवाना हुए। श्री कालूराम जी उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर से मन अमर सिंह पुलिस उप अधीक्षक को निर्देश प्राप्त हुये कि एसीबी चौकी सवाई माधोपुर द्वारा ट्रेप कार्यवाही में रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जा चुका है। रिश्वत लेन–देन आज दिनांक 27.08.2022 को देना तय हुआ है। श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सवाई माधोपुर अवकाश पर है, जिनसे संपर्क कर ट्रेप में अग्रिम कार्यवाही करे। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सवाई माधोपुर से जरिये दूरभाष वार्ता की गई तो अति. पुलिस अधीक्षक साहब ने अवगत कराया कि मैं उपार्जित अवकाश पर हूँ। ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 की सूचना पर ट्रेप कार्यवाही का रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जा चुका है। चुंकि सवाई माधोपुर में गणेश चतुर्थी का पर्व व रविवार का अवकाश होने के कारण स्वतंत्र गवाहान उपलब्ध नही हो पा रहे है। इसलिये आप ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलब कर विश्राम गृह गंगापुर सिटी पहुंचे, जहां पर आपको श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि मय जाप्ता व परिवादीगण के उपस्थित मिल जायेंगे। उक्त निर्देश व सूचना पर मन अमर सिंह पुलिस उप अधीक्षक मय तलब शुदा स्वतंत्र गवाहान विनय सोनी सांख्यिकी निरीक्षक, बैनी प्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक डाईट करौली मय हमराहीयान जाप्ता श्री बृजेश कुमार कानि. 461, श्री श्याम सिंह कानि. 599, श्री राकेश सिंह कानि. 268 मय सकरारी वाहन बोलेरो मय बृजेश कुमार कानि. चालक 562 एवं सरकारी मोटरसाईकिल के निर्देशानुसार ए.सी.बी. कार्यालय से रवाना होकर समय 04.20 पी.एम.पर विश्राम गृह गंगापुर सिटी पहुंचा, जहां पर एसीबी चौकी सवाई माधोपुर से श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. नं. 74, श्री जुगलाल कानि. 459, श्री भोलाराम कानि. 281, श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 मय सरकारी वाहन बोलरो मय ट्रेप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर ईयर फोन आदि उपकरणों एवं परिवादी श्री मोहन लाल व परिवादी के माता–पिता भरोसीलाल, श्रीमति कमला भी विश्राम गृह गंगापुर सिटी उपस्थित मिले। जहां पर राजकार्य हेतु विश्राम गृह कर्मचारी से रूम खुलवाया तो विश्राम गृह के कर्मचारी ने कमरा नम्बर 05 खोलकर दिया। श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. ने परिवादी द्वारा पेश हस्त लिखित प्रार्थना–पत्र व सरकारी वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 26.08.2022 को रिश्वत मांग की रिकार्डिंग है को, मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी द्वारा हस्त लिखित प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया एवं परिवादी श्री मोहनलाल ने दरयाप्त पर बताया कि हमने एसीबी के टोल फ्री नम्बर 1064 पर कॉल किया। इसके बाद हमारी एसीबी सवाई माधोपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मोबाईल पर वार्ता हुई एवं हमारे पास दिनांक 26.08.2022 को उन्होने हम्मीर सिंह सिपाही को भेजा। जो हमारे गांव में आया, जिसको मैने लिखित रिपोर्ट पेश की, पुलिस वाला मेरे से वार्ता नही कर रहा था, इस कारण पुलिस वाले से रिश्वत की बात करने हेतु मैने मेरे माता–पिता को हमारे गांव के राजू पंडित के घर पुलिस वाले से बात करने के लिये भेजा था। हम्मीर सिंह ने रिकार्डर चालू कर मेरे पिताजी के लगाकर रवाना कर दिया। मेरे माता–पिताजी हमारे गांव के राजू पंडित के घर पहुंचे जहां पर पुलिस वाले जगदीश जी से हमारे विरूद्व दर्ज मुकदमें के सम्बन्ध में बातचीत हुई है। उस समय घर पर राजू पंडित नही था, उसके परिजन थे। जगदीश जी ने हमारे खिलाफ दर्ज मुकदमें में मदद करने की एवज में 20,000 रूपये की मांग की तथा मेरे पिताजी के कहने पर दो–तीन हजार रूपये कम लेने के लिये राजी हो गये। मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण मेरे पिताजी को हमारे घर पर ही रोक दिया था और हम्मीर सिंह रिकार्डर लेकर चले गये। कुछ समय बाद दलाल राजू पंडित हमारे घर पर आया और हमसे जगदीश जी पुलिस वाले को देने के लिये 5000 रूपये लेकर चला गया और कहा कि शेष 10000 रूपये कल सांय तक दे देना और दलाल राजू पंडित हमसे रिश्वती राशि 10000 रूपये के लिये बार बार कॉल कर रहा है। हम ऐसे भ्रष्ट दलाल व पुलिस वाले को रिश्वत नही देना चाहते है बल्कि रिश्वत लेते हुये को पकडवाना चाहते है। इस पर वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश सुने गये तो प्रार्थना पत्र, मजिद दरयाप्त एवं रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से मामला रिश्वत लेन देन का होना पाया जाता है। परिवादीगण से दरियाप्त अनुसार आरोपी पुलिसकर्मी के दलाल द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु परिवादीगण के मोबाईल पर बार बार कॉल किये जा रहे है। परिवादी श्री मोहन लाल ने बताया कि

मेरे द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट में पुलिसकर्मी जगदीश लिखा है। मुझे मालूम चला कि जगदीश सिंह जी पुलिस थाना पिलौदा में हैड कानि. के पद पर पदस्थापित है। ट्रेप कार्यवाही में समय अभाव होने के कारण रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु समय 05:10 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी के पिता श्री भरोसी ने अपनी पत्नी कमला के सामने मांगने पर आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/–रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

कम संख्या	नोटोंकाविवरण	नोटों के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520197
2	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520198
3	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520199
4	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520200
5	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520201
6	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520202
7	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520203
8	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520204
9	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520205
10	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520206
11	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520207
12	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520208
13	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520209
14	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520210
15	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520211
16	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520212
17	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520213
18	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520214
19	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520215
20	एक नोट 500 रूपये का	5 FA 520216

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. 74 से सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्कबोर्ड से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर हनुमान प्रसाद हैड कानि. से एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 10,000 रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली–भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी के पिता श्री भरोसी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह बैनी प्रसाद कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उनके पास पहने हुये कपडों व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं पाई गई। इसके बाद श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 10,000 रूपये के नोट परिवादी के पिता श्री भरोसी द्वारा पहने हुये कुर्ते की सामने की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी के पिता को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडरयुक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री बैनीप्रसाद कनिष्ठ सहायक से कमरा के अटैच लैट बाथ से पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में से गिलास निकलवाकर उसमें पानी भरवाकर ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास के पानी मे डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस

प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को ढक्कन बंद करवाकर कमरा में ही रखने हेतु श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. को निर्देशित किया तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को गवाह के हाथ साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. से गिलास के धोवन को कमरे के अन्दर अटैच लैटबाथ में फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से साफ करवाया गया तथा गिलास को कमरे में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन पुलिस उप अधीक्षक ने अपने–अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री भरोसी को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. को मय फिनाफ्थलीन पाउडर डिब्बा के मुनासिफ हिदायत कर विश्राम गृह गंगापुर सिटी में छोडा जाकर समय 06:00 पी.एम. पर मन अमर सिंह पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी मोहनलाल व परिवादी की माता श्रीमति कमला को पुलिस थाना पिलौदा से कुछ दूरी पूर्व रूकने की हिदायत कर परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री राकेश सिंह कानि. व श्री जुगलाल कानि. को सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना कर उनके पीछे–पीछे श्री बृजेश कुमार कानि., श्री हम्मीर सिंह कानि., श्री भोलाराम कानि. मय परिवादी के पिता भरोसी लाल को एसीबी सवाई माधोपुर की सरकारी बोलेरो वाहन से रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान विनय सोनी सांख्यिकी निरीक्षक, बैनी प्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक मय श्री श्याम सिंह कानि. 599, मय सरकारी वाहन बोलेरो मय बृजेश कुमार कानि. चालक 562 के विश्राम गृह गंगापुर सिटी से रवाना होकर पुलिस थाना पिलौदा के पास पहुंचे, जहां पर मोटर साईकिल व सरकारी वाहनो को रोड के साईड में खडा करवाकर परिवादी के पिता भरोसीलाल के मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन करवाकर वाईस रिकार्डर चालू कर आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. से वार्ता करवायी तो आरोपी हैड कानि. ने अपने आप को बाहर बताते हुये दलाल राजू से मिलने के लिये कहा, जिस पर वाईस रिकार्डर बंद कर सुरक्षित रख पुलिस थाना पिलौदा के पास से रवाना होकर गांव पिलौदा से आगे पहुंचे, जहां पर वाहनो को साईड में खडा करवाकर परिवादीगण से वार्ता की तो परिवादी मोहनलाल ने बताया कि राजू का घर बीच गांव में है, रात्री में बडी गाडीयों से जावेंगे तो राजू को शक हो जावेगा एवं रूपयों को लेकर फरार भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में रात्री के समय को देखते हुये ट्रेप कार्यवाही किया जाना उचित नही है। क्योंकि रात्रि के समय रिश्वत राशि खुर्द बुर्द होने तथा आरोपीयों के फरार होने की संभावना होने से परिवादी मोहनलाल को सुबह मिलने की हिदायत कर उसके गांव सेवाला के लिये रवाना कर मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता, परिवादी के माता–पिता, स्वतंत्र गवाहान मय उपकरणों के मय सरकारी वाहनों व सरकारी मोटरसाईकिल के रवाना होकर समय 08:30 पी.एम पर विश्राम गृह गंगापुर सिटी पहुंचा, जहां पर परिवादी के पिता श्री भरोसी द्वारा पहने हुये कुर्ते की सामने की जेब में रखी रिश्वती राशि को श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. द्वारा निकलवायी जाकर सुरक्षित हैड कानि. के पास रखवायी गयी। समय 09:00 पी.एम. पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर को परिवादी के पिता श्री भरोसीलाल व माता श्रीमति कमला एवं स्वतंत्र गवाहान विनय सोनी सांख्यिकी निरीक्षक व बैनी प्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक के समक्ष लैप्टॉप से अटैच कर वाईस रिकार्डर में रिकार्डर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 26.08.2022 एवं आज दिनांक 27.08.2022 को परिवादी के पिता के मोबाईल से एवं आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. के मोबाईल नम्बर पर हुई वार्ता जो स्पीकर ऑन कर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड की है को टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी के माता–पिता एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर आवाज की पहचान करवाकर हम्मीर सिंह कानि से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट टाईप करवाकर तैयार कर उक्त वार्ता को एक पेन ड्राईव Sandisk न्यायालय हेतु व तीन डीवीडीयां क्रमश–दो मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "A" अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धितके हस्तक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव Sandisk व डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के

हस्ताक्षर करवाये गये। शील्डशुदा पेन ड्राईव Sandisk व डीवीडी को मौके पर ट्रेप बाक्स में सुरक्षित रखवाई गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कागज के लिफाफे में रखवाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 28.08.2022 को समय 07:00 ए.एम. पर नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. को मय फिनाफ्थलीन पाउडर डिब्बा के मुनासिफ हिदायत कर विश्राम गृह गंगापुर सिटी में छोडा जाकर गया, मन अमर सिंह पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. के पास सुरक्षित रखी रिश्वती राशि को परिवादी के पिता भरोसी द्वारा पहने हुये कुर्ते की सामने की जेब में रखवायी जाकर श्री श्याम सिंह कानि को सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना कर उसके पीछे–पीछे श्री बृजेश कुमार कानि., श्री जुगलाल कानि., श्री हम्मीर सिंह कानि., श्री भोलाराम कानि. मय परिवादी के पिता श्री भरोसी व मोहनलाल व परिवादी की माता श्रीमति कमला को गांव सेवाला से कुछ दूरी पूर्व रूकने की हिदायत कर उनके पीछे–पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान विनय सोनी सांख्यिकी निरीक्षक, बैनी प्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक मय श्री राकेश सिंह कानि., मय सरकारी वाहन बोलेरो मय बृजेश कुमार कानि. चालक मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स आदि उपकरणों के विश्राम गृह गंगापुर सिटी से रवना होकर समय 08:00 ए.एम. पर गांव सेवाला के पास पहुंचा जहां पर परिवादी मोहनलाल मय निजि मोटरसाईकिल के उपस्थित मिला तथा मोटर साईकिल व सरकारी वाहनो को रोड के साईड में खडा करवाकर परिवादी मोहनलाल व उसके माता–पिता श्रीमति कमला व भरोसीलाल को वाईस रिकार्डर को चालू बंद करने की विधि समझाकर परिवादी की मोटर वाईकिल से रवाना कर उनके पीछे–पीछे श्री हम्मीर सिंह कानि. व श्री श्याम सिंह कानि. को सरकारी मोटरसाईकिल से रवाना कर उनके पीछे मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान विनय सोनी सांख्यिकी निरीक्षक, बैनी प्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक मय श्री राकेश सिंह कानि., मय सरकारी वाहन बोलेरो मय बृजेश कुमार कानि. चालक के रवाना हुआ तथा श्री बृजेश कुमार कानि., श्री जुगलाल कानि., श्री भोलाराम कानि. मय सरकारी वाहन के मुनासिफ हिदायत कर अपनी उपस्थिति का छिपाव करते हुये मुकीम रहने की हिदायत कर रवाना हुआ। समय 09:35 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ग्राम सेवाला में परिवादी मोहनलाल का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन अमर सिंह पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के आरोपी दलाल राजूलाल को उसके घर से मय रिश्वत राशि के पकड़ा जाकर अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर तसल्ली पूर्वक ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराया जाकर पूरा नाम पता पूछा तो दलाल ने अपना पूरा नाम पता श्री राजूलाल शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी सैवाला, पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर होना बताया एवं आरोपी दलाल राजू लाल शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैंने 10000 रूपये जगदीश सिंह हैड साहब के कहने पर हमारे गांव के श्री भरोसी हरिजन से उनके व उनके परिवारजन के विरूद्ध दर्ज मुकदमे में मदद कराने के लिए लिए है। मैं 10,000 रूपये जगदीश जी हैड साहब को पुलिस थाना पिलौदा में जाकर दूंगा। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त किया तो वाईस रिकार्डर बन्द होना पाया गया जिस पर परिवादी ने पूछने पर बताया कि मैरे से जल्दवाजी में वाईस रिकार्डर चालू नही हुआ। इस पर वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के आरोपी दलाल राजू लाल शर्मा व परिवादीगण को हमराह सरकारी मोटर साईकिल व सरकारी वाहनो बोलेरो व परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से रवाना होकर पुलिस थाना पिलौदा के पास पहुंचा जहां से आरोपी दलाल राजू लाल शर्मा के मोबाईल से आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. के मोबाईल पर लाउड स्पीकर ऑन करवाकर कॉल करवाया गया तथा सरकारी वाईस रिकार्डर को चालू कर दलाल राजूलाल व जगदीश हैड कानि. की वार्ता रिकार्ड की गयी तो रिकार्ड वार्तानुसार आरोपी हैड कानि. ने दलाल को गंगापुर सिटी आने को कहा। वॉईस रिकॉर्डर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। इसके पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी, आरोपी दलाल व परिवादी श्री मोहन लाल के रवाना हो गंगापुर सिटी जा रहे थे कि रास्ते में से आरोपी दलाल से पुनः आरोपी हैड कानि. के मोबाईल पर कॉल करवाया तो आरोपी हैड कानि. ने वाईपास पर रिद्धि–सिद्धि हॉस्पीटल के सामने मिलना बताया। इस पर रवाना हो रिद्धि–सिद्धि हॉस्पीटल के पास पहुंच आरोपी दलाल राजूलाल शर्मा व परिवादी मोहन लाल को आरोपी हैड कानि. के पास रिश्वत राशि देने हेतु परिवादी की निजि मोटरसाईकिल से भेजा एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को आस पास पीछे पीछे चलने के लिये निर्देशित किया। कुछ समय बाद परिवादी व आरोपी दलाल मोटर साईकिल से तथा एक अन्य व्यक्ति मोटर साईकिल से रिको की

तरफ गये जिनके पीछे पीछे रवाना हुये परिवादी व आरोपी दलाल रिको में स्थित एलआईसी ऑफिस के सामने रोड़ पर एक मोटरसाईकिल वाले व्यक्ति से वार्ता करने लग गये, थोडी देर बाद वह व्यक्ति वहां से मोटरसाईकिल लेकर रवाना हो गया। उसी समय आरोपी दलाल ने रिश्वत स्वीकृति का ईशारा किया, जिस पर उसके पास पहुंचे व दलाल ने बताया कि अभी अभी हैड साहब मेरे से 10,000 रूपये लेकर मोटरसाईकिल से निकल गये, परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त किया तो वाईस रिकार्डर बन्द होना पाया गया जिस पर परिवादी ने पूछने पर बताया कि मेरे से जल्दबाजी में वाईस रिकार्डर चालू नही हो पाया। इस पर वाईस रिकार्डर को मन पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखा गया। इस पर परिवादी व दलाल को मोटरसाईकिल सहित साथ में लेकर वाहनो से जाप्ता को हमराह लेकर दलाल व परिवादी के पीछे पीछे रवाना हुये व लालसोट–गंगापुर बाईपास पर पीलौदा मोड के पास दलाल के बताये अनुसार मोटरसाईकिल वाले व्यक्ति को जाप्ता की मदद से रूकवाकर उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुए अपना नाम जगदीश सिंह हैड कानि. पुलिस थाना पिलौदा होना बताया। मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वंय का व हमराहीयान का परिचय दिया तथा आरोपी हैड कानि. से आरोपी दलाल से 10,000 रूपये लेने बाबत पूछा तो आरोपी हैड कानि. ने बताया कि अभी थोडी देर पहले राजूलाल व मोहनलाल मेरे पास आये थे और इन्होने मुझे 10000 रूपये दिये थे, जिनको मैने अपने दाये हाथ से अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लिये। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी मय परिवादीगण मय आरोपी जगदीश हैड कानि, आरोपी दलाल राजूलाल के मय सरकारी वाहनो बोलेरो व सरकारी मोटर साईकिल एवं परिवादी व आरोपी की मोटर साईकिल के गंगापुर वाईपास से रवाना होकर समय 11:30 ए.एम. पर पुलिस थाना पिलौदा पहुंचा, जहां पर आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. को तसल्ली देकर पूरा नाम पता पूछा तो उन्होने अपना पूरा नाम पता जगदीश सिंह पुत्र श्री समन्दर सिंह, उम्र 51 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जाहिरा, पुलिस थाना बामनवास, जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. 1259, पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर होना बताया एवं आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. से परिवादी के कार्य के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि भरोसी लाल ने दिनांक 11.07.2022 को मुकेश हरिजन वगैरा के खिलाफ लडाई–झगड़ा व छेडछाड का प्रकरण संख्या 92/2022 दर्ज कराया था जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया गया, उक्त प्रकरण में एफ.आर. अदम वकू झूठ में न्यायालय में पेश की जा चुकी है। दिनांक 08.08.2022 को सुनिता हरिजन ने भरोसी लाल हरिजन वगैरा के विरूद्ध लडाई–झगड़ा व छेडछाड व बलात्कार का प्रयास का प्रकरण संख्या 102/2022 दर्ज कराया था जिसका अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना पिलौदा श्री फतेह लाल जी एस.आई. कर रहे है, फाईल की लिखापढ़ी मेरे द्वारा की जा रही है यह मुकदमा पूर्ण रूपेन झुठा है। थानेदार जी आज राजकार्य से बाहर गये हुए है। मैने भरोसीलाल व उसके परिजन से इनके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में मदद करने की एवज मैने दिनांक 26.08.2022 को राजूलाल शर्मा के घर पर भरोसी व भरोसी की पत्नी से रूपये देने की बात की थी। उसी दिन शाम को 5000 रूपये राजूलाल ने इनसे ले लिए थे तथा वाकि के रूपये कल दिनांक 27.08.2022 को देने की कहा था। कल मेरे पास भरोसी हरिजन का फोन आया तो मैने राजू को रूपये देने के लिए कहा था। आज अभी कुछ समय पूर्व मेरे बुलाने पर राजूलाल शर्मा गंगापुर सिटी वाईपास पर मोहन लाल के साथ मुझे मिले थे। जहां पर राजूलाल ने मेरे को 10,000 रूपये दिये जिनको मैने दाये हाथ से मेरी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दायी जेब में रूपये रख लिए और मैं वहां से थाने के लिए रवाना हुआ थोडी ही दूरी पर आपने मुझे रूका लिया। मेरे से गलती हो गई मेरे को माफ करो। इसके पश्चात सरकारी वाहन बोलेरो में से ट्रेप वॉक्स मंगवाकर ट्रेप वॉक्स में से तामचीनी का कटोरा निकलवाकर स्वतंत्र गवाह बैनी प्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक से तामचीनी के कटोरा को थाना परिसर में लगी हुई पानी की टंकी के पानी से साफ धुलवाकर तामचीनी के कटोरा में साफ पानी भरवाकर ट्रेप वॉक्स में सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा व चम्मच निकलवाकर तामचीनी के कटोरा में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी दलाल राजूलाल शर्मा के दाहिने हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया।

इसके पश्चात तामचीनी के कटोरा को पुनः स्वतंत्र गवाह बैनी प्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक से साफ पानी से धुलवाकर तामचीनी के कटोरा में साफ पानी भरवाकर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी दलाल राजूलाल शर्मा के बाये हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात आरोपी दलाल राजूलाल शर्मा को अपने गले में डाली हुई साफी पहनाई एवं दलाल ने अपना पहना हुआ लोवर उतारकर पेश किया जिसकी स्वतंत्र गवाह विनय सोनी सांख्यिकी निरीक्षक से तलाशी लिवाई तो बाई जेब से 465 रूपये मिले जिनको स्वयं के खर्चा पानी के होना बताया। इसके पश्चात तामचीनी के कटोरा को पुनः स्वतंत्र गवाह बैनी प्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक से साफ पानी से धुलवाकर तामचीनी के कटोरा में साफ पानी भरवाकर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में आरोपी दलाल राजूलाल शर्मा के लोवर की दाहिनी जेब को स्वतंत्र गवाह विनय सोनी सांख्यिकी निरीक्षक से उलटवाकर उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी दलाल के लोवर को जाप्ता निगरानी में धूप में सूखवाया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह बैनी प्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक के हाथ साफ करवाने के बाद तामचीनी के कटोरा को थाना परिसर में लगी हुई पानी की टंकी के पानी से साफ धुलवाकर तामचीनी के कटोरा में साफ पानी भरवाकर थोडा सा सोडियम कार्बोनेट डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. के दाहिने हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क RH-3 व RH-4 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात तामचीनी कटोरा को पुनः स्वतंत्र गवाह बैनी प्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक से साफ पानी से धुलवाकर तामचीनी के कटोरा में साफ पानी भरवाकर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. के बाये हाथ की उंगलियो व अंगूठा को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क LH-3 व LH-4 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. को दलाल के मार्फत प्राप्त की गई रिश्वत राशि 10,000 रूपये पेश करने की कहने पर आरोपी स्वयं ने अपने दाये हाथ से अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से एक कागज के साथ 500–500 रूपये निकालकर पेश किये जिनको सीधे ही स्वतंत्र गवाह श्री विनय सोनी को दिलवाये जाकर गिनवाये तो स्वतंत्र गवाह ने उक्त 500–500 के 20 नोट कुल 10,000 रूपये होना बताया। इस पर उक्त रिश्वत राशि के नोटो के नम्बरो का मिलान विश्राम गृह गंगापुर सिटी में तैयार की गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरो से दोनो स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाये गये, जिनका विवरण फर्द में अंकित करवाकर नम्बरी रिश्वत राशि 10,000 रूपये को बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान के दोनो हाथ अच्छी तरह साबुन–पानी से साफ करवाये गये। उक्त रिश्वत राशि के साथ मिले कागज का अवलोकन किया तो पिन्टेड चैंकिग मीमो राजस्थान पुलिस यातायात जिस पर कार्बन से पीलोदा लिखा हुआ है तथा उक्त चैंकिग मीमो पर लाल रंग से प्रिन्टेड नं. 0175666 छपा हुआ है व उक्त मीमो कार्बन से भरी हुई है जो स्पष्ट पढ़ने में नही आ रही है। तामचीनी कटोरा को स्वतंत्र गवाह

बैनी प्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक से साफ पानी से धुलवाकर तामचीनी के कटोरा में साफ पानी भरवाकर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। ट्रेप बॉक्स मे से साफ रुई को फोहा निकलवाकर रुई के फोहा से उक्त प्रिन्टेड चैंकिग मीमो को रगडवाकर रूई के फोहा को उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क K-1 व K-2 अंकित कर कब्जा ए.सी. बी. लिया गया एवं रूई फोहा को सुखवाकर एक कपड़े की थैली में रखवाकर सिलवाकर सील्ड मोहर करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क K अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। उक्त चैंकिग मीमो पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. को थाने परिसर से उसका लोवर मगवाकर पहनने को दिया गया एवं आरोपी हैड कानि. ने अपनी पहनी हुई पेन्ट को उतारकर पेश किया जिसकी स्वतंत्र गवाह विनय सोनी सांख्यिकी निरीक्षक से तलाशी लिवाई तो पेन्ट की बाई जेब से एक रियलमी कम्पनी का एनरोल्ड मोबाईल फोन मिला जिसको टेबल पर सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात तामचीनी के कटोरा को पुनः स्वतंत्र गवाह बैनी प्रसाद वर्मा कनिष्ठ सहायक से साफ पानी से धुलवाकर तामचीनी के कटोरा में साफ पानी भरवाकर थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर चम्मच से हिलवाया गया और हाजरीन को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. के पेन्ट की दाहिनी जेब को स्वतंत्र गवाह विनय सोनी सांख्यिकी निरीक्षक से उलटवाकर उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर व चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क P-3 व P-4 अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। उक्त पेन्ट को जाप्ता निगरानी में धूप में सूखवाया गया। आरोपी दलाल के सुखाये गये लोवर को मंगवाकर लोवर के दाहिने जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर लोवर को कपड़े की थैली में रखवाकर सील्ड मोहर करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके बाद आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. के सुखाये गये पेन्ट को मंगवाकर पेन्ट के जेब पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को कपड़े की थैली में रखवाकर सील्ड मोहर करवाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क PP अंकित कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी हैड कानि. ने पूछने पर बताया कि प्रकरण संख्या 102/2022 की फाईल थानाधिकारी के पास ही है वो अभी बाहर गये हुए है। इस पर मौके पर मौजुद थाना इंचार्ज श्री संतोषीलाल ए.एस.आई. से परिवादी से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 92/2022 व 102/2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट व अन्तिम प्रतिवेदन की प्रमाणित फोटोप्रति प्राप्त कर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। मन पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी दलाल व आरोपी हैड कानि. के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा गया। इसके बाद परिवादीगण व आरोपीगण से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो परिवादीगण व आरोपीगण ने स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। समय 03:00 पी.एम. पर आरोपीगण एवं शील्डशुदा आर्टिकल्स मय ट्रेप बाक्स आदि उपकरणों के ट्रेप पार्टी की निगरानी में पुलिस थाना पिलौदा छोडा जाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी मोहनलाल मय स्वतन्त्र गवाहान एवं मय श्याम सिंह कानि. मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक बृजेश कुमार कानि. के रवाना होकर आरोपी दलाल के घर पर ग्राम सेवाला पहुंचा जहां पर आरोपी दलाल राजूलाल शर्मा द्वारा परिवादी के पिता से रिश्वत राशि प्राप्त की गई के घटनास्थल का परिवादी की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष निरीक्षण घटनास्थल किया तथा ग्राम सेवाला से रवाना होकर रिको एरिया गंगापुर सिटी पहुंचा जहां पर आरोपी दलाल राजूलाल शर्मा से आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त की गई के घटनास्थल का परिवादी की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष निरीक्षण घटनास्थल किया जाकर रिको एरिया से मन् पुलिस उप अधीक्षक मय परिवादी मोहनलाल मय स्वतन्त्र गवाहान एवं मय श्याम सिंह कानि. मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक बृजेश कुमार कानि. एवं विश्राम गृह

गंगापुर सिटी से तलब शुदा श्री हनुमान प्रसाद हैड कानि. के रवाना होकर समय 06:40 पी.एम. पर पुलिस थाना पिलौदा पहुंचा। समय 06:50 पी.एम. पर आरोपी जगदीश सिंह हाल हैड कानि. 1259, पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर को जुर्म से आगाह कर 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120 बी भा.द.सं. में लिप्त पाये जाने पर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 07:20 पी.एम. पर आरोपी दलाल राजूलाल शर्मा को जुर्म से आगाह कर 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120 बी भा.द.सं. में लिप्त पाये जाने पर परिवादी एवं तथ्यों से परिचित गवाहान को धमकाने एवं टेम्परविद करने का अंदेशा होने पर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। उक्त दोनो फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। समय 08:00 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर को स्वतत्रं गवाहान व परिवादी के समक्ष लेपटॉप से वाईस रिकार्डर को कनेक्ट करवा वाईस रिकार्डर में रिकार्ड आरोपी दलाल राजू लाल व आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. के मध्य मोबाईल से हुई वार्ता दिनांक 28.08.2022 को लेपटॉप के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व लेपटॉप से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर डेस्कटॉप पर सेव मोबाईल वार्ता को परिवादी श्री मोहन लाल से पूछ–पूछ कर आवाज पहचान करवाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया एवं लेपटॉप की मदद से उक्त वार्ताओं एक पेन ड्राईव Sandisk न्यायालय हेतु व तीन डीवीडीयां क्रमश–दो मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "B" अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव Sandisk व डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। शील्डशुदा पेन ड्राईव Sandisk व डीवीडी को मौके पर ट्रेप बाक्स में सुरक्षित रखवाई गई तथा आईओ प्रति डीवीडी को कागज के लिफाफे में रखवाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही का आरोपीगण के परिजन को पता लगने के कारण ब्यूरो खाना तलाशी लिये जाने का कोई औचित्य नही होने से ब्यूरो के उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। समय 10:00 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 40 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। समय 11:00 पी.एम. पर बाद सम्पन्न ट्रेप कार्यवाही के परिवादी श्री मोहन लाल एवं परिवादी के माता–पिता श्री भरोसीलाल व श्रीमति कमला को बाद हिदायत कर रूकसत किया गया तथा ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्डशुदा रिश्वती राशि 10,000 रूपये व समस्त आर्टिकल्स को ट्रेप बाक्स में रखवाया गया।

सम्पूर्ण ट्रेंप कार्यवाही से अभियुक्त जगदीश सिंह हैड कानि. 1259 पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से दिनांक 26.08.2022 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी व उसके परिजन के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 102/2022 में मदद करने की एवज में परिवादी के माता व पिता से 20,000 रूपये की रिश्वत की मांग करना व परिवादी के पिता द्वारा कम करने की कहने पर 2000–3000 रूपये कम करना एवं अभियुक्त दलाल राजूलाल शर्मा द्वारा परिवादी के पिता से रिश्वत मांग सत्यापन के पश्चात 5000 रूपये अभियुक्त जगदीश सिंह हैड कानि. के लिए प्राप्त करना तथा शेष 10,000 रूपये रिश्वत की परिवादीगण से मांग कर अपने घर पर बुलाना पाया गया जिस पर मन अमर सिंह पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दिनांक 27.08.2022 को ट्रेप कार्यवाही आयोजित की गई। परिवादी के पिता से आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. की जरिये मोबाईल वार्ता करवाई तो रिश्वत राशि दलाल राजू लाल शर्मा को देने की कहा, किन्तु रात्रि हो जाने के कारण ट्रेप कार्यवाही नही की गई। दिनांक 28.08.2022 को आरोपी दलाल राजूलाल शर्मा ने परिवादीगण को अपने घर गांव सेवाला में बुलाकर आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. के लिए 10000 रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकड़े जाने पर दलाल राजूलाल शर्मा ने उक्त रिश्वती राशि श्री जगदीश सिंह हैड कानि. पुलिस थाना पिलौदा के लिए प्राप्त करना बताया जिस पर मन अमर सिंह पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी दलाल राजूलाल शर्मा के मोबाईल से आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. के मोबाईल पर कॉल करवाया तो हैड कानि. द्वारा दलाल को गंगापुर सिटी में बुलाया, जिस पर ट्रेप पार्टी व परिवादी मय दलाल राजूलाल शर्मा एवं स्वतंत्र गवाहान मय रिश्वती राशि के सरकारी वाहनो व परिवादी की निजि मोटर साईकिल से रीको एरिया लालसोट–गंगापुर सिटी

वाईपास पर आरोपी हैड कानि. द्वारा आरोपी दलाल से रिश्वत राशि 10,000 रूपये प्राप्त कर आरोपी हैड कानि. को मोटर साईकिल से जाते हुए को जाप्ता की मदद से रूकवाकर वाहन में बिठाकर पुलिस थाना पिलौदा पहुंच हाथ धुलाई एवं रिश्वत राशि अभियुक्त की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब से कागज के साथ रखी हुई बरामद की गई। अभियुक्त दलाल राजू लाल शर्मा व अभियुक्त जगदीश सिंह हैड कानि. 1259 पुलिस थाना पिलोदा को पृथक–पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। दलाल के घर पर हुई रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान एक अन्य महिला व पुरूष की आरोपी जगदीश सिंह हैड कानि. के प्रति सहयोगात्मक भूमिका प्रतित होती है जिनकी ट्रेप कार्यवाही में भूमिका के बारे में दौराने अनुसंधान जांच किया जाना उचित होगा। अतः अभियुक्त 1. जगदीश सिंह पुत्र श्री समन्दर सिंह, उम्र 51 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम जाहिरा, पुलिस थाना बामनवास, जिला सवाई माधोपुर हाल हैड कानि. 1259, पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर 2. दलाल राजूलाल शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी सैवाला, पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर (प्राईवेट व्यक्ति) का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120 बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(अमर सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
करौली (राज०)

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमर सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री समुन्दर सिंह, हैड कानि. नम्बर 1259, पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर एवं 2. श्री राजूलाल शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल(प्राईवेट व्यक्ति) निवासी सैवाला, पुलिस थाना पिलौदा, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 334/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2923-27 दिनांक 29.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रटाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला सवाई माधोपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली।

29.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।